आदेश

निदेशक (उच्च शिक्षा), उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्र संख्या डिग्री विकास/ 8924/ 2020–21 दिनांक 22–02–2021 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–2 के पत्र संख्या 121/XXIV/2021–01(06)2020 दिनांक 12–02–2021 से जनपद अल्मोड़ा के दन्या क्षेत्रान्तर्गत नवीन राजकीय महाविद्यालय स्थापित किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान होने से नव सृजित राजकीय महाविद्यालय दन्या (अल्मोड़ा) हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रकरण मे उप जिलाधिकारी, जैती/भनोली द्वारा अपने पत्र संख्या र–326/विविध पत्रा0 (पेश0)/2021–21, दिनांक 24 मई,2021 एव पत्र संख्या 410 दिनांक 24–07–2021 से नव सृजित राजकीय महाविद्यालय, दन्या हेतु दन्या बाजार से दन्या –आरासल्पाड़ मोटर मार्ग पर राजस्व ग्राम नैकाना, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र काफलनी, तहसील भनोली, जिला अल्मोड़ा के गैर ज0 वि0 ख0 खा0 सं0 22 श्रेणी 9(3)ड (बंजर काबिल आबाद) के पै0 खेत संख्या 758 रकबा 0.096 है0, पै0खेत संख्या 759 रकबा 0.051है0, पै0नं0 762 रकबा 0.025 है0, पै0नं0 763 रकबा 0.063 है0, पै0नं0 764 रकबा 0.065 है0, पै0नं0 765 रकबा 0.050 है0, पै0नं0 766 रकबा 0.166 है0, पै0नं0 767 रकबा 0.088 है0, पै0नं0 768 रकबा 0.105 है0, पै0नं0 769 रकबा 0.006 है0, पै0नं0 770 रकबा 0.033 है0, पै0नं0 771 रकबा 0.071 है0 तथा पै0नं0 772 रकबा 0.093 है0 कुल रकबा 0.912 हैक्टेयर भूमि का चयन कर चयनित भूमि का मौका खसरा,मौका नक्शा,खतौनी एवं ग्रामसभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र, संयुक्त निरीक्षण आख्या व प्रारूप–4 पर आख्या संस्तुति सहित उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित भूमि राजकीय महाविद्यालय, दन्या स्थापित किये जाने हेतु उपयुक्त पायी गयी है। उक्त प्रस्तावित भूमि में जगह–जगह पर पृथक–पृथक कुल 18 चीड के वृक्ष स्थित है।

तदनुसार ही उप जिलाधिकारी, जैती/भनोली द्वारा प्रस्तावित/चयनित उक्त 0.912 हैक्टेयर भूमि जो राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि है, को उच्च शिक्षा विभाग को नियमानुसार हस्तान्तरित करने की संस्तुति की गयी है।

अतः उप जिलाधिकारी, जैती/भनोली की संस्तुति के कम में राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 496/XVIII(II)2020-08 (2016)/2016,दिनांक 28–07–2020 के प्रस्तर 3(1) के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों के कम मे शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002, दिनांक 15–02–2002, शासनादेश संख्या–111/XXVIII(7) 50(39)/2015 /2014 दिनांक 09–07–2015, शासनादेश संख्या 1887 XVIII (II) 2015-18(169)/2015 ,दिनाक 30–07–2015 मे निहित व्यवस्थानुसार राजस्व अनुभाग–2, के पत्र संख्या 3006/XXVIII(ii2015-18(169)/2015 दिनांक 11 अगस्त,2015 एवं राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 2784/पांच–भू0ह0/रा0प02015 दिनांक 11 अगस्त,2015 के कम में ग्राम नैकाना, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र काफलनी, तहसील भनोली, जिला अल्मोडा के गैर ज0 वि0 ख0 खा0 सं0 22 श्रेणी 9(3)ड (बंजर काबिल आबाद) के पै0 खेत संख्या 758 रकबा 0.096 है0, पै0खेत संख्या 759 रकबा 0.051है0, पै0नं0 762 रकबा 0.025 है0, पै0नं0 763 रकबा 0.063 है0, पै0नं0 764 रकबा 0.065 है0, पै0नं0 765 रकबा 0.050 है0, पै0नं0 766 रकबा 0.166 है0, पै0नं0 767 रकबा 0.088 है0, पै0नं0 768 रकबा 0.105 है0, पै0नं0 769 रकबा 0.006 है0, पै0नं0 770 रकबा 0.033 है0, पै0नं0 771 रकबा 0.071 है0 तथा पै0नं0 772 रकबा 0.093 है0 कुल रकबा 0.912 हैक्टेयर भूमि को निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन उच्च शिक्षा विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1– उक्त हस्तान्तरित भूमि पर निर्माण कार्य करने से पूर्व विभाग द्वारा नियमानुसार सक्षम स्तर से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

2– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

3– आवंटित भूमि का उपयोग अनुमोदित एवं स्वीकृत परियोजना के लिये विहित समयावधि के अन्तर्गत किया जाना होगा।

4– आवंटित भूमि का किसी संस्था/विभाग को बिना राजस्व विभाग के पूर्वानुमोदन के हस्तान्तरण अमान्य होगा, अपितु संबंधित विभाग को भूमि की आवश्यकता न होने की दशा

कृपया/–

से उपलब्ध भूमि को पुनः राजस्व विभाग को समर्पित करना होगा। राजस्व विभाग को ... भूमि की आवश्यकता होने की दशा में वापस लेने का अधिकार होगा।

5– आवंटित भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। निर्माण कार्य करते समय वन सम्पदा को सुरक्षित रखने का दायित्व सम्बन्धित याचक विभाग का होगा। निर्माण कार्य के दौरान उक्त वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में वन विभाग से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

6– प्रश्नगत नॉन.जेड.ए. भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम की धारा–132 के समकक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7– उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिये कोई प्रतिकर देय नही होगा।

8– एक प्रशासकीय विभाग से दूसरे प्रशासकीय विभाग को भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी आदेशों / निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

दिनांक 07/9/2021

(वन्दना)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

संख्या 7434/ग्यारह–28 (एल.ए.सी.)/20–21 दिनांक 08 सितम्बर,2021

पंजीकृत

प्रतिलिपि निम्नांकितों को सादर सूचनार्थ प्रेषितः–

1– सचिव, राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
5– निदेशक,उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड गौलापार, हल्द्वानी, नैनीताल।

प्रतिलिपि निम्नांकितों को नियमानुसार अनुपालनार्थ प्रेषितः–

1– उप जिलाधिकारी, जैंती/भनोली/तहसीलदार लमगड़ा को उक्तानुसार नियमानुसार हस्तान्तरण की कार्यवाही करने एवं हस्तान्तरित भूमि को भू–अभिलेखों में नियमानुसार दर्ज करने हेतु प्रेषित।
2– प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, लमगड़ा (अल्मोड़ा)।
3– कार्यालय प्रति/गार्ड फाईल प्रति।

(वन्दना)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।